

प्रेषक,

संख्या- 1147/ 15-7-07- 16(108)/2306

सदानन्द,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र,
प्रीति विहार, नईदिल्ली।

शिक्षा (7) अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 24 अक्टूबर, 2007

विषय :- आर्द्धज छात्रोंसह कानपुर को सी0बीएस0ई० नईदिल्ली से संबद्ध होने अनापूर्ण प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निष्ठा हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय सो सी0बीएस0ई० नईदिल्ली से संबद्ध होने अनापूर्ण प्रमाण पत्र दिये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबधों के अपनी वापत्ति नहीं है:-

- (1) विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी का समय-समय पर नवीनीकरण करना जायेगा।
- (2) विद्यालय की प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सत्र्य होगा।
- (3) विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के वेष्याओं द्वारा के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे 30प्र०माध्यमिक शिक्षा परिषद्/वीसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शूलक से अधिक शूलक नहीं लिया जायेगा।
- (4) संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मोर्चा नहीं की जायेगी और वह शूल में विद्यालय नामिक दिया परिषद् ते मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता देशी बोर्ड आप सेकेंडरी एज्यूकेशन नईदिल्ली/रोडिल आफ दि इण्डियन स्कूल सर्टीफिकेट इवजापिनेशन नईदिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदों से संबद्धता प्राप्त होने की तिथि से 20प्र०माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः अमाप्त नहीं जायेगे।
- (5) संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का उज्जीव सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमत्य देतनमानों तथा अन्य भूलों से कम देतनमान तथा अन्य भूले नहीं दिये जायेंगे।
- (6) कर्मचारियों की सेवा शर्ते बनायी जायेगी और उन्हे सहायता प्राप्त अशासकीय



- (7) राज्य सरकार द्वारा समय-साय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायें संस्था उनका पालन करेगी ।
- (8) विद्यालय का रिकार्ड निधारित "पञ्च पंजिकाओं में रखा जायेगा ।
- (9) उच्च शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुभोदन के बिना कोई परिवर्तन / संशोधन / परिवर्तन नहीं किया जायेगा ।

2- शासनादेश संख्या-4685/15-7-06-16(108)/2006 दिनांक 11-10-2006 द्वारा आई०सी०एस०ई० नईदिल्ली से संबन्धित हेतु पूर्व में प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रताङ्क्षण निरस्त किया जाता है ।

3- उक्त प्रतिबंधों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय वह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबंधों का पालन नहीं किया जा रहा है अब यह पालन करने ने किसी प्रकार की घूक या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

अवदीय,

(सदानन्द)
अनु सचिव।

प्र०संघ्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निन्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- सचिव, सचिव, कौसिल फार दी अण्डुयन स्कूल सटीफिकेट इकाजामिनेशन, प्रगति छाउल, गृहीय तल, 47-48, नेहरू लोस, दूर्गा तल, नईदिल्ली ।

2- शिक्षा निदेशक(मा०), उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

3- नण्ठलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, कानपुर ।

4- जिला विद्यालय निरीक्षक, कानपुर ।

5- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उ०प्र०, लखनऊ ।

6- प्रबंधक, आर्द्ध इ०स०स्कूल कानपुर ।

7- गार्ड बुक ।

आज्ञा ते,

(सदानन्द)
अनु सचिव।

